सीएसआईआर - केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान

पिलानी – 333 031 (राजस्थान), भारत

सं. प्र.नि./समितियां/2026 **दिनांक: 25.11.2026**

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सीएसआईआर-सीरी, पिलानी के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक/वैज्ञानिक-'एफ' (Sr. Principal Scientist/Scientist-F) पद तक के अधिकारियों/वैज्ञानिकों की विदेश प्रतिनियुक्ति से संबंधित सहकर्मी समीक्षा समिति (पीआरसी / PRC) का पुनर्गठन।

सीएसआईआर मुख्यालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 22/IA/Peer Rev Cmt/2019 दिनांक 04.11.2019 एवं सीएसआईआर परिपत्र सं. 22-1(1)/2005-ISTAD दिनांक 03.02.2005 के अनुसरण में—जिनमें सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक / वैज्ञानिक-'एफ' पद तक के अधिकारियों/वैज्ञानिकों की विदेश प्रतिनियुक्ति के मामलों पर विचार करने हेतु प्रयोगशाला स्तरीय सहकर्मी समीक्षा समिति (Peer Review Committee - PRC) के अनिवार्य गठन, गणपूर्ति (कोरम) और विचारार्थ विषयों (ToR) का प्रावधान किया गया है । निदेशक, सीएसआईआर-सीरी ने संस्थान की सहकर्मी समीक्षा समिति (पीआरसी) के निम्नानुसार पुनर्गठन का सहर्ष अनुमोदन प्रदान किया है:

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	भूमिका
1.	डॉ. इंजी. निधि चतुर्वेदी, वैज्ञानिक-'जी'	अध्यक्ष
2.	डॉ. अनिर्बान बेरा, वैज्ञानिक-'जी'	सदस्य
3.	संबंधित प्रभाग के प्रमुख	सदस्य
4.	वित्त एवं लेखा नियंत्रक / वित्त एवं लेखा अधिकारी	सदस्य
5.	सहयोगी सीएसआईआर प्रयोगशाला से एक क्षेत्र विशेषज्ञ	सदस्य

1. परिचालन नियम, गणपूर्ति (कोरम) एवं अनुमोदन प्राधिकारी:

सीएसआईआर कार्यालय ज्ञापन दिनांक 04.11.2019 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, पुनर्गठित पीआरसी निम्नलिखित परिचालन प्रावधानों द्वारा शासित होगी:

(क) गणपूर्ति (कोरम): सहकर्मी समीक्षा समिति (पीआरसी) की गणपूर्ति तीन (03) सदस्यों की होगी।

(ख) हितों के टकराव की स्थिति में सह-योजन (Co-option): यदि विदेश प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारी/वैज्ञानिक स्वयं पीआरसी के सदस्य हैं, तो निदेशक, सीएसआईआर-सीरी द्वारा किसी अन्य सदस्य को सह-योजित (co-opt) किया जा सकेगा।

(ग) अनुमोदन प्राधिकारी: संस्थान के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक / वैज्ञानिक-'एफ' पद तक के अधिकारियों/वैज्ञानिकों के विदेश प्रतिनियुक्ति प्रस्तावों के लिए निदेशक, सीएसआईआर-सीरी सक्षम अनुमोदन प्राधिकारी होंगे।

2. पीआरसी के विचारार्थ विषय (ToR) एवं अनिवार्य कार्य:

सीएसआईआर कार्यालय ज्ञापन दिनांक 04.11.2019 के अनुसार, पुनर्गठित पीआरसी के विचारार्थ विषय (Terms of Reference) निम्नानुसार होंगे:

(i) बैठकों का वार्षिक कैलेंडर: आगामी वर्ष की बैठकों का कैलेंडर पूर्ववर्ती वर्ष के अक्टूबर/नवंबर के अंत तक तैयार कर संधारित करना तथा इसे सूचनार्थ एवं अभिलेख हेतु सीएसआईआर मुख्यालय को अग्रिम रूप से अग्रेषित करना।

(ii) अग्रिम प्रस्ताव आमंत्रण एवं प्रस्तुतीकरण: इच्छुक/संबंधित वैज्ञानिकों/अधिकारियों से प्रस्ताव आमंत्रित करना तथा उनसे निर्धारित अंतरराष्ट्रीय बैठक/सम्मेलन से कम से कम दो (02) माह पूर्व पीआरसी के समक्ष प्रस्तुतीकरण (Presentation) करवाना।

(iii) संवीक्षा एवं भाग-I संस्तुति: प्रस्तुतीकरण(णों) के आधार पर संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श करना तथा निर्धारित प्रपत्र के भाग-I (Part-I) में विदेश प्रतिनियुक्ति हेतु सर्वाधिक सक्षम/पात्र अधिकारी/वैज्ञानिक के नाम की संस्तुति करना।

(iv) एकल सम्मेलन/बैठकें (Stand-Alone Conferences/Meetings): एकल अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों/बैठकों में प्रतिनियुक्त किए जाने हेतु प्रस्तावित अधिकारियों/वैज्ञानिकों की विदेश यात्राओं के लिए भी यही संवीक्षा एवं प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया अपनाना।

(v) यात्रा पश्चात दौरा रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप एवं प्रस्तुतीकरण: विदेश यात्रा पूर्ण होने पर, प्रतिनियुक्त अधिकारी/वैज्ञानिक से अपेक्षित परिणामों/कार्रवाई बिंदुओं पर पीआरसी के समक्ष यात्रा-पश्चात प्रस्तुतीकरण हेतु दौरा रिपोर्ट (Tour Report) तथा प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप (Draft Press Release) प्राप्त करना।

(vi) पुनरीक्षण, भाग-II मूल्यांकन एवं सीएसआईआर मुख्यालय को प्रेषण: दौरा रिपोर्ट एवं प्रेस विज्ञप्ति के प्रारूप की जांच (vetting) करना, निर्धारित प्रपत्र का भाग-II (Part-II) पूर्ण करना (संक्षिप्त, निर्णायक एवं सटीक टिप्पणियां सुनिश्चित करते हुए), तथा अनुमोदित भाग-I एवं भाग-II को दौरा रिपोर्ट व प्रेस विज्ञप्ति के प्रारूप सहित अनिवार्य रूप से सीएसआईआर मुख्यालय को प्रेषित करना।

यह कार्यालय ज्ञापन तत्काल प्रभाव से लागू होता है तथा इस विषय पर जारी पूर्ववर्ती सभी आदेशों का अधिक्रमण करता है।

25.11.2021

(मधुरंजन पाण्डेय)
प्रशासन नियंत्रक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. अध्यक्ष एवं पुनर्गठित सहकर्मी समीक्षा समिति (पीआरसी) के समस्त सदस्य, सीएसआईआर-सीरी, पिलानी
2. समस्त प्रभाग / अनुभाग / समूह प्रमुख, सीएसआईआर-सीरी, पिलानी एवं सीरी केन्द्र के प्रभारी
3. वित्त एवं लेखा नियंत्रक / वित्त एवं लेखा अधिकारी, सीएसआईआर-सीरी, पिलानी
4. निदेशक के निजी सचिव, सीएसआईआर-सीरी, पिलानी — निदेशक महोदय के सादर सूचनार्थ
5. एनएमसी अनुभाग — इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को सीएसआईआर-सीरी के इंट्रानेट पर अपलोड करें
7. कार्यालय प्रति